



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र हरप्रसाद निवासी मौ0 शान्ति नगर भूड जंगसिंह वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की उम्र-04 वर्ष को टाफी ले जाने के बाहने ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.02.2020 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-154/2020 धारा 363/376(3) भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.03.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.10.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट- जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ओमप्रकाश को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।